**बिहार सरकार**
**विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग**

पत्रांकः–वि0 प्रा0 (।।) ब$^{3}$–15/2009 2244 /पटना, दिनांक– 16.9.2015

प्रेषक,

निदेशक,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

अवर सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना/
सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना/
प्राचार्य, सभी अभियंत्रण महाविद्यालय (संबंधित रा0म0औ0वि0 सहित)/
प्राचार्य, सभी राजकीय पोलिटेकनिक एवं महिला पोलिटेकनिक
(संबंधित सभी रा0म0औ0वि0 एवं रा0मु0प्रौ0 वि0 सहित)

विषयः– वित्तीय वर्ष 2016–17 का बजट प्राक्कलन एंव वित्तीय वर्ष 2015–16 का पुनरीक्षित प्राक्कलन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः– वित्त विभाग का पत्रांक–740 दिनांक–20.08.2015

महाशय,

आप अवगत है कि सभी नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा विभाग क लिए निर्धारित मॉग में व्यय की जाने वाली राशि एवं विभाग से संबंधित प्राप्ति की राशि का उपबंध कराने हेतु बजट प्राक्कलन ससमय दिया जाना अपेक्षित है।

बजट प्रावधान उपशीर्ष के अधीन विभिन्न विषयशीर्षो में कर्णांकित किया जाता है। सरकार को व्यय में पूर्ण मितव्ययिता बरतनी है, अतएव प्रस्तावित बजट प्राक्कलन प्रेषित करने के पूर्व कार्यालय, संस्थान एवं विद्यालय स्तर पर उसकी अच्छी तरह से समीक्षा कर Need based प्रस्ताव भेजे जाने की आवश्यकता है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 का बजट प्राक्कलन एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 का पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार करने के संदर्भ में निम्नलिखित दिशा–निदेशो का अनुपालन किया जाना होगाः–

1. वर्ष 2016–17 में उपशीर्षवार तथा विषयशीर्षवार राशि का प्राक्कलन वर्ष 2015–16 को आधार बनाकर नहीं किया जाना है बल्कि वेतनादि मद में कुल वास्तविक कार्यरत बल के अनुसार अनुमानित व्यय के आधार पर तथा गैर वेतनादि मद में राशि का प्राक्कलन पूर्व के तीन वर्षो के वास्तविक व्यय के आधार पर औसत व्यय के अनुसार आवश्यकता के आलोक में किया जाना है।
2. कर्मचारियों की संख्या के प्रसंग में प्रत्येक कोटि के स्वीकृत एवं कार्यरत बल की सूची प्रपत्र ।। में उपलब्ध कराया जाय।

3. बजट–प्राक्कलन एवं पुनरीक्षित प्राक्कलन आयोजना भिन्न/आयोजनावार उपशीर्ष के अधीन विषयशीर्षवार प्रपत्र–। में कार्णाकिंत किया जाय।

4. स्थापना के लिए राशि का आकलन कार्यरत बल के आधार पर ही किया जाय। वर्ष के दौरान संभावित नियुक्तियों एवं अन्य बकाये के लिए पूरक बजट में प्रावधान किया जायेगा। वेतन मद में मार्च से जून तक के लिए वर्त्तमान वेतन और जुलाई से फरवरी तक के लिए 3 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि को जोड़कर गणना की जाए। वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए जीवन यापन भत्ता की गणना वेतन के 131 प्रतिशत पर की जाय। परिवहन भत्ता, चिकित्सा भत्ता एवं विशेष वेतन के लिए निर्धारित दर के अनुसार प्रावधान रखा जाना है। अन्य भत्ते जो कर्मियों/पदाधिकारियों को दिए जाते है उसे अन्य भत्ते नामक विषय शीर्ष में सम्मिलित किया जाना है।

5. जिस उपशीर्ष में वाहनों के ईन्धन/रख–रखाव, दूरभाष, मोबाईल पर व्यय हेतु राशि की आवश्यकता हो, उक्त उपशीर्ष में कितनी गाड़ियॉ, दूरभाष, मोबाईल प्रयुक्त हो रहे है, इसकी सूचना अंकित की जाय (प्रपत्र–।)। इसी प्रकार वर्दीधारी कर्मियों की संख्या भी अंकित की जाय।

6. प्रत्येक उपशीर्ष के लिए निर्धारित विपत्र कोड का इस्तेमाल बजट प्राक्कलन में अवश्य अंकित किया जाय।

7. सहायक अनुदान मद में कर्णाकित राशि को निम्नांकित विषय के अंतर्गत कर्णाकित किया जाय।

| | विषय शीर्ष कोड | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | 3104 | सहायक अनुदान–वेतन |
| 2 | 3105 | सहायक अनुदान–परिसंपतियों का निर्माण |
| 3 | 3106 | सहायक अनुदान वेतनादि के आलावा |

8. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जिस उपशीर्ष में आवंटित राशि की आवश्यकता नहीं है वैसी राशि को सकारण प्रत्यर्पित किया जाय ताकि पुनरीक्षित प्राक्कलन (2015–16) वास्तविक परक हो सके।

9. कार्यालयों/संस्थानों/विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण एवं अन्य का प्रस्ताव पूर्ण औचित्य के साथ आयोजना मद के ही अधीन दिया जाय।

10. प्राप्ति का बजट प्राक्कलन प्राप्तियॉ प्रपत्र–। में भेजी जाय।

11. बजट प्राक्कलन सीधे डाटा बेस के माध्यम से तैयार किया जाय। Guide of Budget 2016–17 एवं निर्धारित प्रपत्र http://finance.bih.nic.in एवं http://ctmisapp2:7778/biharctmis/login/login.jsp पर उपलब्ध है।

12. उपरोक्त दिए गए निर्देशों के आलोक में विहित प्रपत्रों में बजट प्राक्कलन एवं पुनरीक्षित प्राक्कलन A4 Size में कम्प्यूटर टंकित प्रति में ही दिनांक–22.09.2015 तक (हाथो–हाथ प्राप्ति शाखा को) उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

कृपया इसे अतिआवश्यक समझा जाय।

अनु0–यथा वर्णित।

4 (चार) पन्नों में

विश्वासभाजन

15.09.15

निदेशक,

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

ज्ञापांकः– वि0 प्रा0 (।।) ब$^{3}$–15/2009 2244 /पटना, दिनांक– 16.9.2015

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सभी संबंधितों को E-mail एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0–यथा वर्णित।

4 (चार) पन्नों में

15.09.15

निदेशक,

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

14/9/15

तुलक

10.09.2015 सत्येन्द्र मुकेश जी

प्रपत्र-I

विभाग का नाम

माँग संख्या समूह शीर्ष

मुख्य शीर्ष उपमुख्य शीर्ष

लघु शीर्ष उपशीर्ष निपत्र कोड के अन्तर्गत बजट प्राक्कलन

पदा०/कर्म० की संख्या पहली सितम्बर, 2015 को स्वीकृत बल कार्यरत बल

| विषय शीर्ष | विषय शीर्ष का ब्यौरा | वास्तविकी | | | चालू वर्ष 15-16 का स्वीकृत आय-व्ययक | वास्तविकी | | चालू वर्ष 15-16 का पुनरीक्षित प्राक्कलन | | आगामी वर्ष 16-17 का आय-व्ययक अनुमान | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | | पिछले वर्ष के प्रथम चार माह-14-15 | चालू वर्ष के प्रथम चार माह 15-16 | नियंत्रण पदा० द्वारा प्रस्तावित | प्रशासी विभाग द्वारा संशोधित प्रस्ताव | नियंत्रण पदा० द्वारा प्रस्तावित | प्रशासी विभाग द्वारा संशोधित प्रस्ताव | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 01 01 | वेतन | | | | | | | | | | | |
| 01 02 | विशेष वेतन | | | | | | | | | | | |
| 01 03 | जीवन यापन भत्ता | | | | | | | | | | | |
| 01 04 | मकान किराया भत्ता | | | | | | | | | | | |
| 01 05 | परिवहन भत्ता | | | | | | | | | | | |
| 01 06 | चिकित्सा भत्ता | | | | | | | | | | | |
| 01 07 | अन्य भत्ता | | | | | | | | | | | |
| 05 01 | पुरस्कार | | | | | | | | | | | |
| 06 01 | चिकित्सा प्रतिपूर्ति | | | | | | | | | | | |
| 11 01 | यात्रा व्यय | | | | | | | | | | | |
| 13 01 | कार्यालय व्यय | | | | | | | | | | | |
| 13 02 | वाहन का इंधन एवं रख-रखाव | | | | | | | | | | | |
| 13 03 | दूरभाष | | | | | | | | | | | |
| 13 04 | विद्युत प्रभार | | | | | | | | | | | |
| 13 05 | विधि प्रभार | | | | | | | | | | | |
| 13 06 | वर्दी/पोशाक | | | | | | | | | | | |
| 13 07 | विद्युत प्रभार-डी0पी0एस0 | | | | | | | | | | | |
| 14 01 | किराया महसूल एवं कर | | | | | | | | | | | |
| 16 01 | प्रकाशन एवं मुद्रण | | | | | | | | | | | |
| 20 01 | आतिथ्य व्यय | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 02 | कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार | | | | | | | | | | | |
| 21 01 | सामग्री एवं पर्तियाँ | | | | | | | | | | | |
| 27 01 | लघु कार्य | | | | | | | | | | | |
| 27 02 | अनुरक्षण एवं मरम्मत | | | | | | | | | | | |
| 28 01 | व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ | | | | | | | | | | | |
| 31 04 | सहायक अनुदान-वेतन | | | | | | | | | | | |
| 31 05 | सहायक अनुदान परिसम्पतियों के निर्माण | | | | | | | | | | | |
| 31 06 | सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा | | | | | | | | | | | |
| 33 01 | सब्सिडी | | | | | | | | | | | |
| 34 01 | छात्रवृति/वजीफा | | | | | | | | | | | |
| 52 01 | मशीनें एवं उपस्कर | | | | | | | | | | | |
| 53 01 | मुख्य निर्माण कार्य | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | योग :- | | | | | | | | | | |

1. वाहनों की संख्या
2. दूरभाषों की संख्या
3. मोबाइलों की सं0
4. नदीधारी कर्मियों की संख्या-

नोटः-

(1) प्रत्येक उपशीर्ष के लिए अलग प्रपत्र का इस्तेमाल किया जाय ।

(2) अन्य विषय शीर्ष जो आवश्यक हो तो कृपया बजट पुस्तिका 2015-16 को देखकर निर्धारित विषय शीर्ष के अन्तर्गत ही जोड़ा जाए ।

(3) राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय में कमी के संबंध में:-

(क) राजस्व व्यय शीर्ष के अंतर्गत पिछले वर्ष/वर्षों से संबंधित अदायगियों की वसूली हेतु लघु शीर्ष 911-घटायें अधिक अदायगियों की वसूलियां के अधीन दो उपशीर्ष 0001-अग्रिम वेतन, यात्रा भत्ता अग्रिम एवं अन्य मदों की असामंजित राशि की वापसी एवं 0002-अधिक/अनपेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी में ऋणात्मक (-) दिखाना होगा। चालू वर्ष में अधिक अदायगियों की वसूली घटायें वापसियाँ जोड़कर उसी उपशीर्ष में होगी, जिस उपशीर्ष में राशि उपबंधित हुई है।

(ख) पूंजीगत वापसी में व्यय की कमी के लिए उपशीर्ष में ही घटाएँ । पूंजीगत लेखों में प्राप्तियां तथा वसूलियाँ संगत लघु शीर्ष के नीचे उपशीर्ष चिन्हित करते हुए राशि जमा करनी है। पूंजीगत व्यय शीर्ष के अन्तर्गत पिछले वर्षों से संबंधित प्राप्तियां [illegible] वसूलियां के संगत लघुशीर्ष तहत गैर योजना की स्थिति में 0099-घटायें पूंजीगत लेखों में प्राप्तियां तथा वसूलियां, राज्य योजना की स्थिति में 0499-घटायें पूंजीगत लेखों में प्राप्तियां तथा वसूलियां, केन्द्रीय योजनागत योजना की स्थिति में 0499-घटायें पूंजीगत लेखों में प्राप्तियां तथा वसूलियां तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजना की अवस्था में 0699-घटायें पूंजीगत लेखों में प्राप्तियां तथा वसूलियां उपशीर्ष के तहत दर्शायी जाए ।

626

## प्रपत्र - II

.....विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में मुख्यशीर्ष- .....उपमुख्य शीर्ष..... लघु शीर्ष..... उपशीर्ष ..... के अधीन स्वीकृत एवं कार्यरत बल पर होने वाले व्यय की विवरणी ।

| क्र. सं० | पदों का वर्गीकरण (ग्रुप ए, बी, सी, डी) में से कोई | पद नाम | 2014-15 पदों की संख्या | | 2015-16 पदों की संख्या | | अन्तर (कमी/वृद्धि) (7-5) | वेतनमान | वेतन | विशेष वेतन | जीवन यापन भत्ता | मकान किराया भत्ता | परिवहन भत्ता | चिकित्सा भत्ता | अन्य भत्ता | वर्ष में कुल परिलब्धियाँ | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | कुल स्वीकृत बल | कुल कार्यरत बल | पहली सितम्बर, 15 तक कुल स्वीकृत बल | पहली सितम्बर, 15 तक कुल कार्यरत बल | | | 01 01 | 01 02 | 01 03 | 01 04 | 01 05 | 01 06 | 01 07 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

नोट :- उपरोक्त छः के विषय शीर्ष से अतिरिक्त कोई राशि पदाधिकारी/कर्मचारी को व्यक्तिगत वेतन देय हो तो उसे 'अन्य भत्ता' 01 07 में सम्मिलित किया जाय ।

# प्राप्तियाँ (प्रपत्र-I)

विभाग.....

मुख्य शीर्ष — उपमुख्य शीर्ष-

लघु शीर्ष — उपशीर्ष-

विपत्र कोड — के अन्तर्गत बजट प्राक्कलन

| विषय शीर्ष कोड | विषय शीर्ष का ब्यौरा | वास्तविकी | | | चालू वर्ष 15-16 का स्वीकृत आय-व्ययक | वास्तविकी | | चालू वर्ष का पुनरीक्षित प्राक्कलन 15-16 | | आगामी वर्ष 16 17 का आय-व्ययक अनुमान | | व्याख्यात्मक अभ्युक्तियाँ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | | पिछले वर्ष के प्रथम चार माह 14-15 | चालू वर्ष के प्रथम चार माह 15-16 | नियंत्रण पदा० द्वारा प्रस्तावित | प्रशासी विभाग द्वारा संशोधित प्रस्ताव | नियंत्रण पदा० द्वारा प्रस्तावित | प्रशासी विभाग द्वारा संशोधित प्रस्ताव | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | (i) करों, शुल्कों (फीसों तथा अधिभारों) आदि की वर्तमान दर में यदि पूर्व की दर से विचलन हो तो उसका उल्लेख- |
| | | | | | | | | | | | | (ii) पूर्व के वर्षों का बकाया तथा वित्तीय वर्ष के दौरान उनके प्राप्त होने की राशि की संभावना- |
| | | | | | | | | | | | | (iii) वर्ष 2016-17 के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए जो विशेष उपाय किये जाने वाले हैं उनका विवरण संक्षेप में- |
| | | | | | | | | | | | | (iv) प्राप्ति में यदि वापसी हो तो किस वर्ष में हुई प्राप्ति से संबंधित है का उल्लेख- |
| | | | | | | | | | | | | (v) 2015-16 के पुनरीक्षित प्राक्कलन में चालू वर्ष के स्वीकृत आय-व्ययक प्राक्कलन के अनुमान के अनुसार राशि में कमी/वृद्धि के औचित्य का उल्लेख- |

नोट :- राजस्व प्राप्ति की वापसी अगर किसी शीर्ष में की जानी हो तो लघु शीर्ष 900-घटाये वापसियाँ संबंधित उपशीर्ष से किया जाना है । बजट प्राक्कलन में संभावित वापसी को घटाकर (-) अलग से चिन्हित कर दिखायें।